भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3273
दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मजदूरी

3273. श्री प्रज्वल रेवन्ना:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की दुर्दशा से अवगत हैं, जिन्हें नियमित वेतन के बजाय अल्प मानदेय का भुगतान किया जाता है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत नहीं आते हैं;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह भुगतान किए जा रहे वर्तमान मानदेय के ब्यौरे सहित उन्हें उचित वेतन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत लाने का विचार है, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को संशोधित करती है। इस समय मुख्य आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 4,500 रुपये प्रति माह,लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों को 3,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,250 रुपये प्रति माह केन्द्र और राज्य/संघ राज्य शासित क्षेत्र के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी के अनुसार मानदेय भुगतान किया जाता है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 प्रति माह निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा मानदेय और अन्य प्रोत्साहन राशि के भुगतान किए जाने के अतिरिक्त, इन कार्यकर्त्रियों को अधिकतर राज्य /संघ शासित क्षेत्र की सरकारें भी मौद्रिक प्रोत्साहन देती हैं।

(ग) और (घ) : अवैतनिक कार्यकर्त्री होने के नाते आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।